



# कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-166/स्टे.आयु./2020/3665

भिलाई, दिनांक 24/3/2020

//आदेश//

COVID-19 कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिये आज दिनांक 24.03.2020, रात्रि 12.00 बजे से 21 दिन तक पूर्णतः लॉकडाउन किया गया है। अतः नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से संचालन एवं नागरिकों को पेयजल प्रतिदिन उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु श्री आर.के. साहू, अधीक्षण अभियंता एवं श्री सत्येन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता को आदेशित किया जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल व्यवस्था में किसी भी प्रकार की उदात्तता नहीं बरती जाये, अन्यथा सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा की जावेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


  
(ऋतुराज रघुवंशी)  
आई.ए.एस.

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

भिलाई, दिनांक 24/3/2020

क/एफ-166/स्टे.आयु./2020/3666  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, दुर्ग, जिला-दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
3. नहापौर/सनापाते नहोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
4. श्री ..... अधीक्षण अभियंता, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. उपआयुक्त, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. जॉन आयुक्त, जॉन -1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. कार्यालय अभियंता, जॉन -1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ। अपने-अपने जॉन अंतर्गत वाडों में पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से सुनिश्चित करेंगे।
8. कार्यालय अभियंता, जलकार्य, नगर पालिक निगम भिलाई। सभी टंकियों में पेयजल स्पलाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
9. संबंधित संबंधित विभाग ..... नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. अतिरिक्त सचिव, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम